


**ग्रैटर नौरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक सेक्टर्स के आवंटियों के पानी के बिलों एवं अन्य समस्याओं के त्वरित निदान हेतु आयोजित जल अदालत में आये आवेदनों की स्थिति का विवरण**

क्र० सं०	जल अदालत पंजीकरण संख्या	जल अदालत दिनांक	सेक्टर का नाम	आवटी का नाम	भूखण्ड संख्या	समस्या/शिकायत का प्रकार	कृत कार्यवाही	टिप्पणी
दिनांक 15.10.2020 को आयोजित जल अदालत में प्राप्त आवेदनों का विवरण -								
1	001	15.10.2020	इकोटेक-1	Jahwa Electronics Pvt. Ltd.	6	आवटी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि हमारे द्वारा वर्तमान तक प्रश्नगत भूखण्ड का कम्प्लीशन नहीं कराया गया है तथा निर्माण कराया जा रहा है तथा हमें 2006 से वर्तमान तक का बिल प्राप्त हुआ है, जिसे कि माफ किया जाये।	जल अदालत की समिति की अनुसंधान के उपरान्त प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक-अर्दन सर्तिस/2018/1982 दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पानी का बिल माफ कर दिया गया।	
2	002	15.10.2020	इकोटेक-12	Global Power Transformers Limited	117	आवटी द्वारा अवगत कराया गया है कि हमारे प्लान्ट पर वर्तमान तक पानी का कनेक्शन नहीं किया गया है। भूखण्ड पर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाये।	दिनांक 16.10.2020 को भूखण्ड संख्या-117, इकोटेक-12, ग्रैटर नौरडा का निरीक्षण किया गया एवं मौके पर पानी का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है।	
1	003	22.10.2020	इकोटेक-1 एक्सटेंशन-1	C-Net Software Services Pvt. Ltd	87	आवटी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि हमारे द्वारा वर्तमान प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा पानी का कनेक्शन नहीं लिया गया है। भूखण्ड के सापेक्ष पानी का बिल प्राप्त हुआ है, उसे समायोजित/माफ किया जाये।	जल अदालत की समिति की अनुसंधान के उपरान्त प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक-अर्दन सर्तिस/2018/1982 दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पानी का बिल माफ कर दिया गया।	

दिनांक 22.10.2020 को आयोजित जल अदालत में प्राप्त आवेदनों का विवरण -

  
 A.M. (Udyog)  
 Director (Udyog)

क्र0 सं0	जल अदालत पंजीकरण संख्या	जल अदालत दिनांक	सेक्टर का नाम	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	समस्या/शिकायत का प्रकार	कृत कार्यवाही	टिप्पणी
2	004	22.10.2020	इकोटेक-1 एक्सटेन्शन	Sachin Polymers Pvt. Ltd	328	आवंटी द्वारा अवागत कराया गया है कि हमारे प्लान्ट पर वर्तमान तक पानी का कनेक्शन नहीं किया गया है। आवश्यक कार्यवाही करते हुए पानी के बिल को माफ किया जाये।	जल अदालत की समिति की अनुसंधान के उपरान्त प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक-अर्बन सर्विस/2018/1982 दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पानी का बिल माफ कर दिया गया।	
3	005	22.10.2020	इकोटेक-1 एक्सटेन्शन-1	Stellar Informatics Pvt. Ltd	77	आवंटी द्वारा यह अवागत कराया गया है कि हमारा भूखण्ड खाली पड़ा हुआ है एवं वर्तमान में इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, इसलिए पानी का बिल माफ कर दिया जाये।	जल अदालत की समिति की अनुसंधान के उपरान्त प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक-अर्बन सर्विस/2018/1982 दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पानी का बिल माफ कर दिया गया।	
4	006	22.10.2020	सेक्टर-30, इकोटेक-1	Sargodha Plast India Pvt. Ltd.	30	आवंटी द्वारा यह अवागत कराया गया है कि वर्तमान तक प्रश्नगत भूखण्ड पर पानी का कनेक्शन नहीं लिया गया है। भूखण्ड के सापेक्ष पानी का जो बिल प्राप्त हुआ है, उसे माफ कर दिया जाये।	जल अदालत की समिति की अनुसंधान के उपरान्त प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक-अर्बन सर्विस/2018/1982 दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पानी का बिल माफ कर दिया गया।	
दिनांक 29.10.2020 को आयोजित जल अदालत में प्राप्त आवेदनों का विवरण -								
शून्य								

  
 जल अदालत  
 आदेश (को)  
 दिनांक 31.03.2018

  
 A.O. (जल)